

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 120/2015

संस्थापन दिनांक 23.03.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-प्रमोद कुमार पुत्र अशोक कुमार यादव उम्र 22 वर्ष  
निवासी ग्राम किटहेना हाल बिरला नगर ग्वालियर

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.द.स. एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 27.02.15 को 05:30 बजे पखोजिया आम रास्ता थाना मौ जिला भिण्ड पर ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-06-जी.ए.6162 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन का उपेक्षापूर्ण परिचालन कर धीरसिंह अ0सा03 को उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना परव्यक्ति जोखिम बीमा के चलाया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.02.15 को फरियादी धीरसिंह अ0सा03 कुशवाह रतवा मौ से आदिराम बघेल अ0सा04 के ट्रैक्टर क्रमांक 2522 में बैठकर जा रहा था ट्रैक्टर का चालक बड़ी तेजी व लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर को चला रहा था उसने धीरे चलने को कहा फिर भी ट्रैक्टर चालक नहीं माना और लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर को चलाकर ग्राम पखोजिया के आगे ट्रैक्टर को पलट दिया जिससे उसके दोनों पैरों में मूंदी चोट आई तथा ट्रैक्टर में बैठी एक महिला के भी चोट आई। मौके पर मेहताबसिंह अ0सा01 व बाबूसिंह अ0सा02 ने घटना देखी। तत्पश्चात फरियादी धीरसिंह कुशवाह अ0सा03 की रिपोर्ट पर से थाना मौ में अप0क्र0 47/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-3 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम

दृष्ट्या मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि
  1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.02.15 को 05:30 बजे पखोजिया आम रास्ता थाना मौ जिला भिण्ड पर ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-06-जी.ए.6162 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन का उपेक्षापूर्ण परिचालन कर धीरसिंह अ0सा03 को उपहति कारित की ?
  3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना परव्यक्ति जोखिम बीमा के चलाया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रं0 1 लगायत 3 का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी धीरसिंह कुशवाह अ0सा03 ने कथन किया है कि दिनांक 25.02.16 से एक वर्ष पूर्व पांच-साढे पांच बजे वह लाल रंग के ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-06-जे.ए.-6162 नंबर 2522 से मौ से रतवा जा रहा था। ट्रैक्टर को आरोपी मनोज बहुत जोरदारी से चला रहा था। उसने कहा कि धीरे चलाओ तो वह नहीं माना और आगे जाकर ट्रैक्टर पलट गया। दुर्घटना में वह ट्रैक्टर के नीचे दब गया जिससे उसे पांव में चोट आई। ट्रैक्टर में एक महिला भी बैठी थी। दुर्घटना रतवा रोड पर हुई थी। ट्रैक्टर बहुत तेज था। उसने मौ थाने में जाकर रिपोर्ट प्र0पी-3 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-4 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। एक्सरे रिपोर्ट न कराये जाने की इबारत प्र0पी-5 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं परन्तु उसने एक्सरे न कराये जाने के बाबत नहीं लिखा था। इस सुझाव से इंकार किया है कि नक्शामौका प्र0पी-4 उसके सामने बनाया गया था।
6. साक्षी बाबूसिंह अ0सा02 ने कथन किया है कि धीरसिंह अ0सा03 उसका साला है। धीरसिंह अ0सा03 साइकिल से जा रहा था तब ट्रैक्टर वाले ने उसे नहीं बिठाया तो धीरसिंह अ0सा03 ने ट्रैक्टर वाले के नाम झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 27.02.15 को वह और मेहताब अ0सा01 ग्राम पखोजिया के आगे पहुंचे तब रोड के किनारे एच.एम.टी. ट्रैक्टर लाल रंग का 2225 पलटा हुआ था जिसमें धीरसिंह अ0सा03 घायल पड़ा था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि धीरसिंह अ0सा03 ने बताया था कि ट्रैक्टर तेजी व लापरवाही से चल रहा था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तर प्र0पी-2 में भी दिए जाने से इंकार किया है। उसने धीरसिंह अ0सा03 के चोट नहीं देखी।
7. मेहताब अ0सा01 ने कथन किया है कि वह आरोपी और धीरसिंह अ0सा03 को जानता है। चैत्र माह में धीरसिंह अ0सा03 मौ से घर आया था तब वह अपने घर पर ही था और पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की।

अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि वह बाबूसिंह अ0सा02 के साथ अपने गांव जा रहा था। तब ग्राम पखोजिया के आगे एक एच.एम.टी ट्रैक्टर क्रमांक 2522 रोड के किनारे पड़ा था। इस सुझाव से इंकार किया है कि धीरसिंह अ0सा03 वहां पड़ा था जिसके पैर में चोट थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि धीरसिंह अ0सा03 ने बताया था कि ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

8. आदिराम अ0सा04 ने कथन किया है कि उसके पास कोई ट्रैक्टर नहीं है पुलिस ने कुछ दस्तावेजों पर उसके अंगूठे लगवा लिए थे लेकिन उसे नहीं मालूम। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसका एच.एम.टी. ट्रैक्टर क्रमांक 2522 क्रमांक एम0पी0-67-जी.ए. 6162 जो उसने नेतराम से खरीदा था उसे दिनांक 27.02.12 को आरोपी प्रमोद चलाकर ले गया था और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि प्रमोद ने उसे बताया था कि गोहद आते समय ट्रैक्टर पलट गया और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-6 में भी दिए जाने से इंकार किया है। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके बेटे का नाम गंभीर है और प्रमोद उसका बेटा नहीं है।

9. डॉ0 आर0विमलेश अ0सा05 का कथन है कि वह दिनांक 27.02.15 को सी.एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को आहत धीरसिंह अ0सा03 पुत्र किशनलाल उम्र 30 वर्ष निवासी मेहगांव का चिकित्सीय परीक्षण उसके द्वारा किया गया जिसे आरक्षक 1285 श्याम गुर्जर थाना मौ द्वारा लाया गया था जिसमें आहत को नील निशान 4 गुणा 2.3 से.मी. साथ में सूजन थी यह चोट दांये पैर के टखने में थी तथा खरोंच 2.5 गुणा 1/4 से.मी. बांये घुटने के निचले हिस्से पर बाहर की ओर थी। आहत दांये पैर में दर्द की शिकायत बता रहा था। उसके मतानुसार चोट नं0 1 व 2 सख्त एवं कुंद वस्तु से आई हुई प्रतीत होती है जो उसके परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की अवधि की थी। चोट नं0 1 की प्रकृति जानने के लिए एक्स-रे की सलाह दी गयी थी लेकिन आहत ने अपनी स्वेच्छा से एक्सरा प्रमाणित कराने से मना किया। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत द्वारा एक्सरा प्रमाणित कराने से मना की गयी टीप बी से बी है तथा जिस पर आहत धीरसिंह अ0सा03 के हस्ताक्षर ए से ए भाग पर हैं।

10. साक्षी रणवीरसिंह अ0सा06 का कथन है कि वह दिनांक 19.03.15 को थाना मौ में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अप0क्र0 47/15 की विवेचना में घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी-4 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी वीरसिंह, मेहताबसिंह अ0सा01, बाबूसिंह अ0सा02, आदिराम अ0सा04 के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। दिनांक 20.03.15 को आरोपी प्रमोद कुमार से एक लाल रंग का ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन व लाइसेन्स की छायाप्रति जप्ती पत्रक प्र0पी-7 के अनुसार जप्त किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर प्र0पी-8 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया जिसके ए से ए भाग पर

उसके हस्ताक्षर हैं। नेतराम पुत्र प्रेमसिंह से प्रमाणीकरण प्राप्त किया जिसमें आदिराम अ0सा04 को ट्रैक्टर बेचना बताया था। गाड़ी मालिक आदिराम अ0सा04 से प्रमाणीकरण प्राप्त किया जिसने घटना के समय प्रमोद द्वारा गाड़ी चलाना बताया। जप्त वाहन का बीमा न होने से धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया था।

11. प्रकरण में मेहताबसिंह अ0सा01 व बाबूसिंह अ0सा02 अभियोजन मामले में घटना के तुरंत बाद पहुंचे साक्षियों में उल्लिखित हैं और धारा 161 दप्रस के अधीन दिए गए कथन क्रमशः प्र0पी-1 व 2 में उन्होंने वर्णित किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तब ट्रैक्टर पलटा हुआ था और धीरसिंह अ0सा03 के पैरों में चोट थी लेकिन न्यायालयीन साक्ष्य में उक्त तथ्यों से स्पष्ट इंकार किया है। अतः दोनों साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। आहत धीरसिंह अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि वह आरोपी प्रमोद को जानता है और ट्रैक्टर को प्रमोद चला रहा था जिसका नंबर एम0पी0-06-जे.ए.6162 था। उक्त दिनांक को ही प्रतिपरीक्षण किए जाने पर धीरसिंह अ0सा03 ने पैरा 3 में कथन किया है आदिराम अ0सा04 ट्रैक्टर लेकर जा रहा था और उसका लड़का ट्रैक्टर चला रहा था। आरोपी प्रमोद ट्रैक्टर नहीं चला रहा था। वह आदिराम अ0सा04 के लड़के को पहले से नहीं जानता था। आदिराम अ0सा04 के लड़के का नाम गंभीरसिंह है। वह घटना के समय प्रमोद को नहीं जानता था लेकिन अब जानता है। गंभीरसिंह के पास लाइसेन्स नहीं था इसलिए प्रमोद को आरोपी बनाया गया था। पुनः परीक्षण किए जाने पर उक्त विरोधाभास में ध्यान आकर्षित कराया गया कि ट्रैक्टर को प्रमोद चला रहा था अथवा गंभीरसिंह चला रहा था जिस पर इस साक्षी ने उत्तर दिया है कि ट्रैक्टर को गंभीरसिंह चला रहा था। इस संबंध में अभियोजन द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 340/344 दप्रस दिनांकित 25.02.16 इस आशय का पेश किया है कि साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में प्रमोद द्वारा ट्रैक्टर चलाया जाना बताया है। लेकिन प्रतिपरीक्षण में गंभीरसिंह द्वारा ट्रैक्टर चलाया जाना बताया है और पुनः परीक्षण में अधिवक्ता द्वारा फाइल दिखाये जाने पर प्रमोद द्वारा ट्रैक्टर चलाना बताया है अतः साक्षी ने जानबूझकर शपथ पर असत्य कथन दिए हैं अतः धीरसिंह अ0सा03 के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया है। गंभीरसिंह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि धीरसिंह अ0सा03 ने कथन प्र0डी-1 दिया था। ट्रैक्टर घटनास्थल पर नहीं मिला था और प्रमोद ने थाने पर लाकर ट्रैक्टर जप्त कराया था।
12. एफ.आई.आर. प्र0पी-3 जोकि धीरसिंह अ0सा03 द्वारा लिखाई गयी है, में आरोपी का विवरण आदिराम बघेल अ0सा04 के ट्रैक्टर चालक के रूप में व्यक्त किया है। धीरसिंह अ0सा03 द्वारा दिए गए पुलिस कथन प्र0डी-1 में ट्रैक्टर चालक का नाम स्पष्ट नहीं किया है और विवेचना में ट्रैक्टर चालक का नाम आदिराम अ0सा04 के कथन प्र0पी-7 और प्रमाणीकरण प्र0पी-6 के आधार पर प्रमोद होना अभियोजन मामले में वर्णित है। अतः धीरसिंह अ0सा03 ने विवेचना में भी आरोपी प्रमोद का नाम ट्रैक्टर चालक के रूप में वर्णित नहीं किया है।
13. धीरसिंह अ0सा03 ने न्यायालयीन साक्ष्य में मुख्यपरीक्षण में ट्रैक्टर चालक का नाम प्रमोद वर्णित किया है। लेकिन पुनः परीक्षण के उपरांत प्रतिपरीक्षण में प्रमोद का नाम अपने अधिवक्ता द्वारा बताये जाना वर्णित किया जाना बताया है और पैरा 3 में भी कथन किया है कि घटना के समय वह प्रमोद को नहीं जानता



था लेकिन अब अर्थात् साक्ष्य के समय वह प्रमोद को जानता है। अतः धीरसिंह अ0सा03 विवेचना के चरण पर प्रमोद को नहीं जानता था और मुख्यपरीक्षण में उसने प्रमोद का नाम अपने अधिवक्ता द्वारा बताये जाने पर वर्णित किया जाना बताया है। जबकि वह प्रमोद को पूर्व से नहीं जानता था। मुख्यपरीक्षण में भी धीरसिंह अ0सा03 ने ऐसा नहीं बताया है कि वह प्रमोद को पूर्व से जानता था और मुख्यपरीक्षण में प्रमोद को जानना बताया जाना यह स्वतः स्पष्ट नहीं करता है कि वह प्रमोद को पूर्व से जानता था और पूर्व से जानने के उपरांत भी उसने मुख्यपरीक्षण में प्रमोद को वाहन चालक के रूप में वर्णित कर असत्य साक्ष्य दी है। प्रमोद को पूर्व से ज्ञात न होने पर अधिवक्ता द्वारा नाम बताये जाने पर मुख्यपरीक्षण में उसके द्वारा नाम वर्णित किया जाना यह स्पष्ट नहीं करता है कि उसने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दी है। जबकि उसने अपने अधिवक्ता के बताने पर ही प्रमोद का नाम ज्ञात होना बताया है।

14. इस संबंध में न्यायदृष्टांत ताजमोहम्मद बनाम एम्परर ए.आई.आर. 1928 लाहौर 125 में प्रतिपादित किया गया है कि अगर साक्षी दो विरोधाभासी कथन करता है तब यह संभावना है कि वह व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ईमानदारी से कथन करे और पश्चातवर्ती चरण पर उसे ज्ञात हो कि वह गलत बोल रहा है तब वह सत्य बात बोले जबकि उसका आशय दोनों ही चरण पर असत्य बोलने का नहीं था। उक्त न्यायदृष्टांत वर्तमान मामले में लागू होता है क्योंकि ऐसा कोई तथ्य अभियोजन प्रकाश में नहीं ला सका है कि साक्षी को अभियुक्तगण बताये जाने पर उसे ज्ञात था कि प्रमोद का नाम मिथ्या है। साक्षी ने विवेचना में भी आदिराम अ0सा04 का ट्रैक्टर चालक आरोपी के रूप में वर्णित किया है और प्रतिपरीक्षण में भी आदिराम अ0सा04 के ट्रैक्टर चालक का ही वर्णन किया है। जबकि आदिराम अ0सा04 ने अपने पास कोई ट्रैक्टर न होने से ही इंकार किया है और अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अतः आदिराम अ0सा04 के कथन के आधार पर धीरसिंह अ0सा03 का सआशय मिथ्या साक्ष्य दिया जाना स्पष्ट नहीं करता है। अतः धीरसिंह अ0सा03 के विरुद्ध धारा 340 अथवा धारा 344 दप्रस के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि धीरसिंह अ0सा03 द्वारा सआशय मिथ्या साक्ष्य दिया जाना अभियोजन स्पष्ट नहीं कर सका है। जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

15. अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है किसी भी प्रत्यक्ष साक्षी ने घटना के समय आरोपी प्रमोद द्वारा वाहन चलाया जाना नहीं बताया है। धीरसिंह अ0सा03 द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में आरोपी द्वारा ट्रैक्टर चलाये जाने के तथ्य से स्पष्ट इंकार किया गया है एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य में भी आदिराम अ0सा04 के कथन से घटना के समय अभियोजित ट्रैक्टर आरोपी के अधिपत्य में होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन परिचालित किया जाना अभियोजन साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 27.02.15 को 05:30 बजे पखोजिया आम रास्ता थाना मौ जिला भिण्ड पर ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-06-जी.ए. 6162 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन का उपेक्षापूर्ण परिचालन कर धीरसिंह अ0सा03 को उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना परव्यक्ति

जोखिम बीमा के चलाया।

16. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337 भा.द.स. एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
17. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
18. प्रकरण में जप्त ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-06-जे.ए.6162 आवेदक नेतराम की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने कीदशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0